कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 02.02.2021 द्वारा श्रीमती शशि पाण्डेय, प्रधानाचार्य, राउमावि बालावाला, सांगानेर जिला जयपुर का स्थानान्तरण राबाउमावि बोरावर, मकराना जिला नागौर किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध श्रीमती शशि पाण्डेय द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 2534/2021 शशि पाण्डेय बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 2534/2021 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 25.02.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 02.02.2021 का क्रियान्वयन याचिकार्थी श्रीमती शशि पाण्डेय के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में श्रीमती शशि पाण्डेय राउमावि बालावाला, सांगानेर जिला जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर पूर्ववत पदस्थापित रहेंगी एवं स्थगन से प्रभावित प्रधानाचार्य श्री रविकान्त वर्मा का अन्तरिम समायोजन राबाउमावि बोरावर, मकराना जिला नागौर किया जाता है। उक्त पदस्थापन/समायोजन याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आगामी/अन्तिम आदेश के अध्यधीन रहेंगे।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/शशि पाण्डेय/2534/2021 दिनांकः 13/03/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/अजमेर संभाग, जयपुर/अजमेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर/जयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक नागौर/जयपुर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यो को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)